Alecco

संख्या 836 / 28-5-11

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र

कार्यालय उप निबन्धक समिति, सत्यमेव जयते, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

नवीकरण संख्या 209 2011-12

फाइल संख्या I 41070M

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि कृष्णा चैरीटेबिल ट्रस्ट सोसायटी के० आई० 139 न्यू कविनगर गाजियाबाद को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 143-01-2002

दिनांक 28-5-2001 को दिनांक 28-5-2011 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

1000/ रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 28-5-2011 20

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 5 फर्म निबन्धक–23.9.2004–(1352)–50,000–(कम्प्यूटर / आफसेट)।

संशोधित- नियमावली

संस्था का नाम	:	कृष्णा चैरिटेबिल ट्रस्ट सोसाइटी।
संस्था का पूरा पता	:	एस0बी0-185, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद (उ0प्र0)।
संस्था का कार्यक्षेत्र	:	समस्त उत्तर प्रदेश होगा।
संस्था के उद्देश्य	:	इसके उद्देश्य निम्नांकित है :-

संस्था की सदस्यता :-

इसकी सदस्यता हेतु सदस्य की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, नैतिक आचरण वाला हो, संस्था के उद्देश्यों के प्रति रूचि रखता हो, वह संस्था का सदस्य बन सकेगा।

सदस्यों के वर्ग :-

क- आजीवन सदस्य :-

जो सज्जन क्रमांक 5 के अनुसार संस्था का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो एवं उसने संस्था को एक मुश्त 1100/-रू0 नकद दे, वह संस्था का आजीवन सदस्य कहलायेगा।

ख- सामान्य सदस्य :-

जो सज्जन क्रमांक 5 के अनुसार संस्था का सदस्य बनने की योग्यताा रखता हो एवं उसने संस्था को एक मुश्त 200/- रूपये नकद वार्षिक शुल्क देगा, वह संस्था का सामान्य सदस्य कहलायेगा।

सदस्यता की समाप्ति :-

1- सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।

2- सदस्य का पागल हो जाने पर।

3- सदस्यता शुल्क न देने पर।

4- सदस्य पद से त्याग पत्र दिये जाने पर।

5- संस्था की तीन मीटिंग में लगातार अनुपस्थिति रहने पर।

6- संस्था के विरूद्ध कार्यों में दोषी पाये जाने पर।

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ / निरीक्षक
कार्यालय ... रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज तथा चिट्स मेरठ
15-6-12

R.S. Singh
Anupama Singh

विसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।

संस्था के अंग : अ- साधारण सभा

ब- प्रबन्धकारिणी समिति।

साधारण सभा का विस्तृत रूप :-

अ- गठन : संस्था के आजीवन, सामान्य सदस्यों का संगठन साधारण सभा कहलायेगा।

ब- बैठक : सामान्य मीटिंग वर्ष में एक बार होगी एवं विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

स- सूचना :- सामान्य मीटिंग की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष मीटिंग की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी, सूचंना डाक या स्पेशल मैंसेजर द्वारा दी जायगी।

द- कोरम :- साधारण सभा की मीटिंग की गणपूर्ति 2/3 होगी।

य- साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1- संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन करना।

2- संस्था की वार्षिक रिपोर्ट, बजट आदि को पास करना।

3- संस्था की प्रबन्धसमिति का समय पर चुनाव करना।

4- संस्था के भ्रष्ट सदस्यों को निकालना।

5- संस्था के हित में कार्य करना।

प्रबन्धकारिणी समिति :-

क- गठन :- प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा अपने सदस्यों में से बहुमत द्वारा करेगी। जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी एवं संदस्य होगें :-

1- अध्यक्ष एक
2- उपाध्यक्ष एक
3- महासचिव एक
4- सहसचिव एक
5- कोषाध्यक्ष एक
6- उपकोषाध्यक्ष एक
7- सदस्य- सात

सदस्यगण आवश्यकता पडने पर घटाये बढाये जा सकते है।

Anupama Singh

R. S. Singh

सत्य प्रतिलिपि

ख- बैठके प्रबन्धसमिति की सामान्य मीटिंग वर्ष में चार बार होगी एवं विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

ग- सूचना अवधि :- सामान्य मीटिंग की सूचना 7 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी, सूचना डाक या स्पेशल मैसेंजर द्वारा दी जायेगी।

घ- कोरम : प्रबन्धकारिणी समिति की मीटिंग की गणपूर्ति 2/3 होगी, कोरम के अभाव में स्थगित की गई बैठक के लिए कोरम की पाबन्दी न होगी यदि उन्ही विषयों पर विचार होता हो।

ङ- कार्यकाल :- प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष बाद किया जायेगा।

च- रिक्त पद की पूर्ति :-

प्रबन्धसमिति की आकस्मिक रिक्त पद होने पर उसकी पूर्ति प्रबन्धसमिति स्वंय साधारण सभा सदस्यों में से बहुमत द्वारा शेष कार्यकाल की अवधि के लिए कर लेगी।

छः- अधिकार एवं कर्तव्य :-

1- संस्था के नियमों- विनियमों में संशोधन करना ।

2- संस्था की वार्षिक रिपोर्ट, बजट करना।

3- संस्था के सदस्य बहुमत से बनाना एव बहुमत से निकालना।

4- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करना, धन संग्रह करना।

5- संस्था "बालक/बालिकाओं के लिए कार्यक्षेत्र में कृष्णा कालेज ऑफ सांइस एवं इनफोरमेशन टैक्नालॉजी तथा कृष्णा कालेज ऑफ ला" की स्थापना व संचालन करेगी, जिसके संचालन का उत्तरदायी संस्था द्वारा गठित उपसमिति करेगी जो संस्था के अन्तर्गत कार्य करेगी जो संस्था के अन्तर्गत कार्य करेगें।

6- बालक/बालिकाओं के लिए छात्रावास की स्थापना करना।

7- उक्त कालेजों एवं छात्रावासों के प्रबन्धन के लिए समिति निम्न अनुसार उपसमिति का गठन करेगी, यह उपसमिति पूर्णतया मूल प्रबन्धसमिति के निर्देशन में तथा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप तथा उपसमिति जोकि उक्त कालेजों एवं छात्रावासों के प्रबन्धसमिति कहलायेगी, के पदाधिकारी एवं सदस्य निम्न प्रकार होगे--

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
संस्थायें एवं चिट्स मेरठ

R.S.Singh
RC Rajput
Anupama Singh
महाराज सिंह
15-6-12

क- प्रबन्धसमिति का अध्यक्ष ही उपसमिति का अध्यक्ष होगा।

ख- प्रबन्धसमिति का महासचिव उपसमिति का प्रबन्धक होगा।

ग- प्रबन्धसमिति का सहसचिव उपसमिति का सहप्रबन्धक होगा।

घ- प्रबन्धसमिति का कोषाध्यक्ष उपसमिति का कोषाध्यक्ष होगा।

ड- प्रबन्धसमिति का उपकोषाध्यक्ष उपसमिति का उपकोषाध्यक्ष होगा।

च- प्रबन्धसमिति के शेष सदस्य उपसमिति के सदस्य होगें।

8- उपसमिति उक्त कालेजों, छात्रावासों के लिए वित्त प्रबन्धन करेगी व उक्त कालेजों, छात्रावासों के संचालन के लिए भूमि, चल अचल सम्पत्ति का क्रय विक्रय, पट्टे पर लेना अथवा देना, स्थानान्तरण आदि कार्यवाही करेगी।

9- उपसमिति उक्त कालेजों एवं छात्रावासों के संचालन हेतु इनके नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा डाकघर में खाता खोलना।

10- उक्त खातों को सचांलित करने के लिए उपसमिति के प्रबन्धक और कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर [illegible] होगें।

11- उपसमिति उक्त कालोजों एवं छात्रवासों के लिए चल अचल सम्पत्ति तथा भूमि को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में समय बन्धक/गिरवी रखने के लिए तथा उक्त कालेजों, छात्रावासों के लिए इनकी ओर से इन कालेजों, छात्रावासों के लिए ऋण लेने/देने के लिए अधिकृत होगी।

12- उक्त कालेजों, छात्रवासों से सम्बन्धित सभी कार्यो के लिए कोषाध्यक्ष को उपसमिति के प्रबन्धक के समस्त अधिकार प्राप्त होगें तथा प्रबन्धक की अनुपस्थिति में कोषाध्यक्ष, प्रबन्धक के लिए एवं उनकी ओर से किसी भी पत्र/प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होगें।

13- उक्त कालेजों एवं छात्रावासों के लिए उनकी ओर से किसी भी न्यायालय में कानूनी, अर्द्धकानूनी, सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यवाही के लिए उपसमिति ही अधिकृत होगी।

14- प्रबन्धसमिति अपनी ओर से उक्त सभी कार्यवाही/अन्य कार्यवाही हेतु उपसमिति के प्रबन्धक या कोषाध्यक्ष अथवा दोनो को अधिकृत कर सकेगी।

महाराज सिंह R. S. Singh Anupama Singh

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अध्यक्ष :

1- संस्था के सभी प्रकार की मीटिंग की अध्यक्षता करना।

2- संस्था की मीटिंग के लिए दिनांकः का अनुमोदन करना।

3 समान मत होने पर अपना निर्णायक मत देना।

4- संस्था के कार्यो के संचालन हेतु महासचिव के साथ मिलकर कर्मचारी की नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युत आदि सम्बन्धी कार्यवाही करना।

5- संस्था के सदस्य/कर्मचारी के त्याग- पत्रों को स्वीकृत कर महासचिव से संस्तुति कराना।

2- उपाध्यक्ष : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपाध्यक्ष को निहित होंगे।

3- महासचिव :

1- संस्था को पिछली मीटिंग की कार्यवाही को पूर्ण कराना, रजिस्टरों में अंकित कराना।

2- संस्था के समस्त अभिलेखों, बाउचरों पर हस्ताक्षर करना एवं आवश्यकतानुसार उन्हें प्रमाणित करना।

3- संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।

4- संस्था के सदस्य/कर्मचारी के त्याग पत्रों पर संस्तुति देना।

5- संस्था के कर्मचारी की नियुक्ति, पदोन्नति, आदि सम्बन्धी कार्यवाही करना।

6- विशेष परिस्थितियों में संस्था के कार्यो में अपना निर्णय देना जो सभी को मान्य होगा।

4- सहसचिव : 1- संस्था के महासचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा लिखित रूप में सौपे गये कार्य करना।

2- उनके निर्देशन में कार्य करना।

सत्य प्रतिलिपि

R. S. Singh

Anupama Singh

5- कोषाध्यक्ष :

1- संस्था के कोष से सम्बन्धित सभी कार्य करना।

2- संस्था के कैश बुक आदि तैयार करना।

6- उपकोषाध्यक्ष : कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपकोषाध्यक्ष को नीहित होगें।

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया केवल साधारण सभा द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा की जायेगी।

कानूनी कार्यवाही :

संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही महासचिव या प्रबन्धसमिति द्वारा अधिकृत सदस्य/पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

संस्था का कोष

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर जो भी प्रबन्धसमिति द्वारा अधिकृत किया गया हो, मे रखा जायेगा जिसका संचालन संस्था के महासचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताखर से होगा।

आय व्यय का लेखा परीक्षण :-

संस्था के आय व्यय का वार्षिक लेखा परीक्षण नियुक्त आडिटर द्वारा कराया जायेगा जो पहली अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।

अभिलेख : सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, एजेण्डा कैश बुक रसीद बुक, डाक पंजिका आदि जो भी आवश्यक हो, रखे जायेंगे।

विघटन : संस्था की विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्यप्रतिलिपि।

Anupama Singh

R. S. Singh महाराज सिंह

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ ... लिपिक

कार्यालय ... रजिस्ट्रार

कृष्णा चैरिटेबिल ट्रस्ट सोसाइटी,
के0आई0- 139, कविनगर, गाजियाबाद (उ0प्र0)

पूर्व एजेंण्डा के अनुसार दिनांकः 2-6-2012 को संस्था की साधारण सभा की विशेष बैठक ...यालय पर श्री रविन्द्र कुमार सैंगर जी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक का कोरम पूरा रहा। ... बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

...ताव सं0-एकः

... कार्यवाही की पुष्टि पर विचार।

सभा में गत बैठक दिनांकः 10-3-2012 व 25-3-2012 की कार्यवाही पढ़कर सुनाया, सभा ने कार्यवाही को ध्यानपूर्वक सुना और सर्वसम्मति से पुष्टि कर दी।

सत्यप्रतिलिपि।

Anupama Singh

R.S. Senger   महाराज सिंह

सत्य प्रतिलिपि
15-6-12
वरिष्ठ सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज तथा चिट्स मेरठ
15-6-12